361

संख्या–140/XV-2/01(13)/2006(डेरी)

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग– 02

देहरादून, दिनांक 22, फरवरी, 2013:

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत (सामान्य) योजनान्तर्गत महिला डेरी विकास योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1338/लेखा–प्रस्ताव आयो0 सामान्य/2012–13, दिनांक 15–12–2012 के संदर्भ में प्रमुख सचिव (वित्त) के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19–6–2012 एवं शासनादेश संख्या–628/XV-2/01(13)/2006(डेरी), दिनांक 24–07–2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना हेतु निम्न मदों में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹ 102.67 लाख (₹ एक करोड दो लाख सड़सठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि रूपयें में
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	5,76,100
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	85,96,400
3.	प्रपोलसन चार्जेज	3,96,000
4.	एक्सटेनशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	3,03,500
5.	ओवरराईडिंग कॉस्ट	3,95,000
	कुल योग :–	**1,02,67,000**

1. उक्त निर्गत स्वीकृति का जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।

2 बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2/–

4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

5. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

6- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–04–महिला डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्रावधान अनुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0संख्या तथा वित्त अनुभाग–4 के अशासकीय संख्या–175 (P)/वित्त–4/2012, दिनॉक 21 फरवरी, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या :1240(1)/XV-2/01(13)2006(डेरी) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर निदेशक, महिला डेरी परियोजना, अल्मोडा ।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।